उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
संख्या 1729/चौवालिस-2-27/94, टी०सी०,
लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 1994

कार्यालय—ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके ऐसी रूग्ण इकाइयों, जिनके पुनर्वासन/निजीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, को चिन्हित करने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित करते हैं:—

(1)	प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	अध्यक्ष
(2)	प्र०वि० के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
(3)	सम्बन्धित निगमों/उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी	सदस्य
(4)	विशेष सचिव एवं अपर महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	संयोजक

2- उक्त समिति प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की समीक्षा करने के उपरान्त निम्नलिखित पर अपनी संस्तुतियां शासन को 2 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी:—

(1) समिति द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों का अध्ययन कर ऐसी इकाइयों की पहचान की जायगी जो "सीका" के अन्तर्गत रूग्ण इकाइयों की परिभाषा में आती हैं।

(2) समिति ऐसी रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास/निजीकरण हेतु आवश्यक उपाय किये जाने के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी।

(3) समिति विशेषज्ञ सहायता आदि के लिए आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को भी सहयुक्त कर सकेगी।

[आर०एस० निगम]
विशेष सचिव।

संख्या 1729(1)/44-2/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासकीय अनुभाग।

[देवी प्रसाद साहू]
अनु सचिव।